**भारत सरकार**
**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 496**
**06 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**पीएमएवाई-यू लाभार्थियों के लिए सहायता**

**496. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंगः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के जो लाभार्थी अपना हिस्सा चुकाने में असमर्थ हैं, उनकी सहायता के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं और राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को आय दस्तावेज के बिना लाभार्थियों के लिए आवास ऋण प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**
**आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री**
**(श्री तोखन साहू)**

(क) से (ग): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाओं को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों(यूटी) द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ हर मौसम के अनुकूल पक्के आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रहा है।

भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा तैयार परियोजना लागत के साथ-साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के आधार पर प्रस्तावों को स्वीकृति दे रही है।

भारत सरकार पीएमएवाई-यू के घटकों अर्थात स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) के तहत 1.0 लाख रुपए, साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी) के लिए

1.5 लाख रुपए और लाभार्थी आधारित निर्माण या संवर्धन (बीएलसी) के लिए 1.5 लाख रुपए की केंद्रीय सहायता के रूप में अपना निश्चित हिस्सा प्रदान करती है। डीपीआर के अनुसार आवास की शेष लागत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/लाभार्थियों द्वारा साझा की जाती है। इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का हिस्सा अनिवार्य नहीं है। हालांकि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी जाती है कि वे शहरी गरीबों पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए डीपीआर तैयार करने के चरण में अपने हिस्से का प्रावधान रखें, जो राज्य दर राज्य और परियोजना दर परियोजना अलग-अलग होता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बैंकों/आवास वित्त कम्पनियों (एचएफसी) से ऋण उपलब्ध कराकर लाभार्थियों को उनके हिस्से की व्यवस्था करने में सहायता करते हैं।

पीएमएवाई-यू के अनुभवों से सीखते हुए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है, ताकि पात्र लाभार्थियों द्वारा चार घटकों यानी लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से सस्ती लागत पर आवास बनाए, खरीदे और किराये पर लिए जा सकें।

इस योजना के निर्देश- निर्देशों के अनुसार, पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का हिस्सा होना अनिवार्य है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के न्यूनतम हिस्से के अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें वहनीयता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त टॉप-अप हिस्सा भी प्रदान कर सकती हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी जाती है कि वे बैंकों, लाभार्थियों और राज्यों के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करके लाभार्थियों को कम लागत वाली ऋण सुविधा उपलब्ध कराएं।

इसके अलावा, भारत सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय समूह (एलआईजी) के लिए कम आय वाले आवास के लिए क्रेडिट जोखिम गारंटी फंड ट्रस्ट (सीआरजीएफटीएलआईएच) का पुनर्गठन किया है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, आवास वित्त कंपनियों आदि से लिए गए आवास ऋण पर गारंटी प्रदान करके पात्र परिवारों की ऋण पहुंच और पात्रता को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य भी पीएमएवाई-यू 2.0 के ईडब्ल्यूएस/एलआईजी से संबंधित पात्र लाभार्थियों को वित्तीय संस्थाओं से किफायती आवास ऋण के माध्यम से समय पर उनके आवासों को पूरा करने में मदद करना है, जिससे कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति में सीधे सहायता मिलती है।

******